

संख्या- 400/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद, पीलीभीत, कन्नपुर देहात, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर, प्रतापगढ़, मेरठ,
लखीमपुर, खीरी, हरदोई, भदोही, फिरोजाबाद, कन्नपुर शहर, शाहजहांपुर एवं सीतापुर।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक: 15-04-2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लूप्रकोप-, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांडएवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 20,02,00,000/- (रूपये बीस करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

| क्र0 | जनपद का नाम | मद-09 | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में) |
|------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | फर्रुखाबाद | डूबकर होने वाली मृत्यु | 20.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 15.00 |
| | | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 10.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 10.00 |

| | | | |
|---|--------------|---|--------|
| | | आंधी-तूफान | 10.00 |
| | | सर्पदंश | 35.00 |
| 2 | पीलीभीत | इबकर होने वाली मृत्यु | 200.00 |
| 3 | कानपुर | इबकर होने वाली मृत्यु | 50.00 |
| | देसत | आंधी-तूफान | 20.00 |
| | | सर्पदंश | 50.00 |
| 4 | अयोध्या | इबकर होने वाली मृत्यु | 100.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 30.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 30.00 |
| | | आंधी-तूफान | 30.00 |
| | | सर्पदंश | 60.00 |
| 5 | चित्रकूट | सर्पदंश | 100.00 |
| 6 | बिजनौर | इबकर होने वाली मृत्यु | 40.00 |
| | | आंधी-तूफान | 8.00 |
| | | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 20.00 |
| | | सर्पदंश | 28.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 8.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 8.00 |
| | | मानव वन्य जीव द्वन्द्व | 32.00 |
| 7 | प्रतापगढ़ | इबकर होने वाली मृत्यु | 30.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 30.00 |
| 8 | मेरठ | इबकर होने वाली मृत्यु | 40.00 |
| | | आंधी-तूफान | 10.00 |
| | | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 30.00 |
| | | सर्पदंश | 20.00 |
| | | लू-प्रकोप | 20.00 |
| | | मानव वन्य जीव द्वन्द्व | 20.00 |
| 9 | लखीमपुर खीरी | इबकर होने वाली मृत्यु | 50.00 |
| | | आंधी-तूफान | 50.00 |
| | | सर्पदंश | 50.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 50.00 |

| | | | |
|----|------------|--|---------|
| | | मानव वन्य जीव द्वन्द्व | 50.00 |
| 10 | हरदोई | इबकर होने वाली मृत्यु | 100.00 |
| 11 | भदोही | इबकर होने वाली मृत्यु | 80.00 |
| | | आंधी-तूफान | 4.00 |
| | | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 8.00 |
| | | सर्पदंश | 40.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 60.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 8.00 |
| | | मानव वन्य जीव द्वन्द्व | 8.00 |
| 12 | फिरोजाबाद | इबकर होने वाली मृत्यु | 60.00 |
| | | आंधी-तूफान | 15.00 |
| | | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 35.00 |
| | | सर्पदंश | 50.00 |
| | | लू-प्रकोप | 10.00 |
| | | आकाशीय-विद्युत | 20.00 |
| | | सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना | 32.00 |
| 13 | कानपुर शहर | सीवर सफाई/गैस रिसाव | 8.00 |
| 14 | शाहजहांपुर | इबकर होने वाली मृत्यु | 50.00 |
| 15 | सीतापुर | बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि | 50.00 |
| | | योग | 2002.00 |

(रूपये बीस करोड़ दो लाख मात्र)

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न

- किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।
- अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तिकांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (10) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी व्यय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 20,02,00,000/- (रुपये बीस करोड़ दो लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,

Shailendra Mani Tripathi
(शैलेंद्र मणि त्रिपाठी)
Date: 15-04-2025 10:27:06
अनु सचिव।

संख्या-400(1)/एक10-2025- तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र०, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र० शासन।

- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनुसचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/04/2025

प्रेषण संख्या:- 400
आवंटन आदेश संख्या:- 001-400
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|-------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 14000000 14000000 | 14000000 14000000 |
| 2 | बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 14400000 19400000 | 14400000 19400000 |
| 3 | शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 5000000 5000000 | 5000000 5000000 |
| 4 | पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 20000000 20000000 | 20000000 20000000 |
| 5 | फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 10000000 10000000 | 10000000 10000000 |
| 6 | कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 800000 19700000 | 800000 19700000 |
| 7 | सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 5000000 33000000 | 5000000 33000000 |
| 8 | हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 10000000 12075000 | 10000000 12075000 |
| 9 | लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 25000000 26673000 | 25000000 26673000 |
| 10 | अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 25000000 25000000 | 25000000 25000000 |
| 11 | प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 6000000 6000000 | 6000000 6000000 |
| 12 | कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 12000000 12000000 | 12000000 12000000 |
| 13 | फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 22200000 22200000 | 22200000 22200000 |
| 14 | संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 20800000 20800000 | 20800000 20800000 |
| 15 | चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान प्रगामी | 10000000 20000000 | 10000000 20000000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 200200000 265848000 | 200200000 265848000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस करोड़ दो लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस करोड़ अठ्ठावन लाख अड़तालीस हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।